न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 93/2018

1. बनवारीलाल। पुत्रगण घूरेलाल जाति वैश्य निवासी ग्राम खेरली हाल जी.टी. रोड़
2. सीताराम । मनियां धौलपुर .....वादीगण

बनाम

1. पीतम पुत्र मानपाल । अकवाम कुशवाह निवासीगण ग्राम बालगोविन्द का पुरा
2. गंगादेवी पत्नी रामेश्वर । तहसील मनियां जिला धौलपुर
3. श्रीनिवास पुत्र रामेश्वर ।
4. पातीराम । पिसरान राजाराम
5. कन्हैयालाल।
6. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक मनियां धौलपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर .....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थिति – 1. श्री निशांत भार्गव एडवोकेट––वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 12.08.2025

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1200 रकवा 19 विस्वा, स्थित ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर में वादीगण संयुक्त रूप से 4/9 भाग के खातेदार कृषक है इसी हिस्सानुसार काबिज काश्त है, वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/3 भाग के खातेदार कृषक है। इसी हिस्सानुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध सारोकार नहीं है, ना ही उसके कोई हित है ना ही उसका किसी प्रकार का कब्जा है। वादीगण की आराजी खतौनी संख्या 162 में 2 खसरा नम्बर 1200 रकवा 19 विस्वा, 1202 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 59 में अंकित थे। खसरा नम्बर 1202 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा का विकृय 23–24 वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया था। इस खसरा नम्बर में वादीगण का हिस्सा पूर्व रूप से समाप्त हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के विक्रीत हिस्से पर काबिज काश्त हो गया इस वयनामा के आधार पर नामांतकरण संख्या 5 से राजस्व अभिलेख में भलिभांति अंकन हो गया विवाद ग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में पूर्व की तरह बनी रही जिसके खातेदार वादीगण आज भी है। नामांतकरण के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2060 से 63 की खतौनी संख्या 133 पर अमल दरामद किया तब विकृय की गई आराजी खसरा नम्बर 1202 के साथ–साथ वादीगण की विवादित आराजी में वादीगण का हि0 4/9 लोपित कर दिया गया और वादीगण का नाम भी लोपित कर दिया जबकि राजस्व नियमानुसार वादग्रस्त आराजी का खाता वादीगणों के नाम व हिस्सेदारी अंकित करते हुए पृथक बनाना था एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा क्रय की गई आराजी का खाता भी पृथकरूप से निर्मित करना था इस त्रृटि पूर्ण अंकन से वादीगणों के कानूनी हक समाप्त नहीं होते है। प्रतिवादी संख्या ने अंकित हो गया तब वादग्रस्त आराजी को हड़पने के उद्देश्य से बैंक कर्मियों से साजिश कर विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 6 के यहाँ रहन कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 6 को गलत इन्द्राज के आधार पर रहन नहीं करना चाहिये था। वादीगण ने प्रतिवादीगण से उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त किये जाने का निवेदन किया तो स्पष्ट इंकारी हो गये। इसलिए आराजी खसरा नम्बर 1200 रकवा 19

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

विस्वा, स्थित ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर में वादीगण संयुक्त रूप से 4/9 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। आदेशिका दिनांक 20.09.2022 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2060–63 प्रदर्श–1, नामांतकरण संख्या 5 प्रदर्श–2, नामांतकरण संख्या 73 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2056–59 प्रदर्श–4, नकल वयनामा प्रति, प्रार्थना पत्र तहसीलदार मनियां मय रिपोर्ट पटवारी पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में पी0डब्ल्यू0 1 बनवारी, पी0डब्ल्यू0 2 रमेश के बयान कराये।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार मनियां से रिपोर्ट तलब की गई, तहसीलदार मनियां ने आराजी खसरा नम्बर 1200 बाकै ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की कि नामान्तकरण संख्या 5 स्वीकार दिनांक 22.04.2000 द्वारा खाता संख्या 162 के खसरा संख्या 1202 में बनवारी, सीताराम पुत्रान घूरेलाल द्वारा हि0 4/9 का बैचान पीतम पुत्र मानपाल हि0 4/9 को किया गया है उक्त नामांतकरण संख्या 5 का नोट जमाबंदी संम्वत् 2026–59 के खाता संख्या 162 में लगाते समय सहवन से खाता संख्या 162 के सभी खसरा नम्बर 1200, 1202 पर लग गया है। अतः बेचान सम्पूर्ण खाते (ख0नं0 1200, 1202) में मानते हुए नवीन जमाबंदी सम्वत् 2060–63 बनाते समय खाता संख्या 133 (1200, 1202) सम्पूर्ण पर बनवारी, सीताराम पुत्रान घूरेलाल के स्थान पर पीतम पुत्र मानपाल का नाम दर्ज हो गया है। जो केवल खसरा नम्बर 1202 पर ही दर्ज करना था। वर्तमान में पीतम पुत्र मानपाल का इ0 नं0 846 दिनांक 14.05. 2024 द्वारा विरासत का नामांतकरण हो गया है, जिसमें पीतम पुत्र मानपाल के वारिसानों के नाम राजस्व रिकार्ड में आ गये है। जिनका सम्पूर्ण हिस्सा पीएनबी मनियां में राहिन है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी खसरा 1200 बाकै ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर के वादीगण 4/9, भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 संयुक्त रूप से 2/9 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 संयुक्त रूप से 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने खाता संख्या 162 में आराजी खसरा नम्बर 1202 जमाबंदी सम्वत् 2056 से 59 में निहित पूर्ण हिस्से का विकृय प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया था। नामांकरण के आधार पर जमाबंदी सम्वत् 2060 से 63 की खतौनी संख्या 133 पर अमल दरामद किया तब विकृय की गई आराजी ख0 सं0 1202 के साथ–साथ वादीगण की विवादित आराजी में वादीगण का हिस्सा 4/9 लोपित कर दिया और वादीगण का नाम नाम लोपित कर दिया। जबकि राजस्व नियमानुसार वाद ग्रस्त आराजी का खाता पृथक से बनाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा क्रय की गई आराजी का खाता भी प्रथक रूप से निर्मित करना चाहिए था। इसलिए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर मनन किया गया। पत्रावली के दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट का अवलोकन किया, नामांतकरण संख्या 5 प्रदर्श–2 के अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

से स्पष्ट है कि नामांतकरण संख्या 5 केवल खसरा नम्बर 1202 बाकै ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर पर वयनामा के आधार पर दाखिला खारिज किया गया है। तहसीलदार मनियां ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया है कि नामांतकरण संख्या 5 का नोट जमाबंदी सम्वत् 2026– 29 के खाता संख्या 162 में लगाते समय सहवन से खाता संख्या 162 के सभी खसरा नम्बर 1200 व 1202 पर अंकित हो गया है। जिसके कारण बनवारी, सीताराम पुत्रान घूरेलाल के स्थान पर पीतम पुत्र मानपाल का नाम दर्ज हो गया है। जो केवल खसरा नम्बर 1202 पर ही दर्ज होना था एवं खसरा नम्बर 1200 पर बनवारी, सीताराम के नाम ही दर्ज हिस्सेअनुसार दर्ज करना था। वकील वादीगण द्वारा दिनांक 15.10.2024 को पेश नकल वयनामा 09.08.1994 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादीगण बनवारी व सीताराम पुत्रान घूरेलाल द्वारा पीतम पुत्र मानपाल को केवल खसरा नम्बर 1202 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा का ही बेचान किया था, ना कि खसरा नम्बर 1200 पर निहित अपने 4/9 भाग का बेचान किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1202 रकवा 1 बीघा 8 विस्वा का ही विक्रय किया था, लेकिन नामांतकरण का इन्द्राज जमाबंदी में करते समय सहवन से आराजी खसरा नम्बर 1200 रकवा 19 विस्वा में निहित वादीगण बनवारी, सीताराम पिसरान घूरेलाल के 4/9 भाग पर पीतम पुत्र मानपाल के इन्द्राज कर दिये। वादीगण अपने वादपत्र के कथनों को सिद्ध करने में सफल रहे है। इसलिए दावा वादीगण डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1200 रकवा 19 विस्वा, स्थित ग्राम बालगोविन्द का पुरा तहसील मनियां व जिला धौलपुर पर बनवारी, सीताराम पिसरान मानपाल को विवादित आराजी के 4/9 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1200 पर हो रहे पीतम पुत्र मानपाल हि0 4/9 को कलमजद किया जाकर बनवारी, सीताराम पिसरान मानपाल के नाम के इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक के राहिन बदस्तूर रखे जावें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)